भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1044
22.11.2019 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण से समयपूर्व मृत्यु

1044. श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार देश में 30 प्रतिशत समयपूर्व मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु/रूग्णता के संबंध में किए गए मॉडल-आधारित अनुमानों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए अध्ययन-विषय अवश्य प्रकाशित किए जाते हैं। किन्तु, देश में ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर प्रत्यक्ष रूप से यह सह-संबंध स्थापित किया जा सके कि कोई मृत्यु/रोग की घटना केवल प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण सांस की बीमारियों और संबद्ध रोगों को उत्पन्न करने वाले कारकों में से एक है। स्वास्थ्य पर प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण शामिल है, के पडने वाले प्रभाव विभिन्न कारकों की सहक्रिया से उत्पन्न लक्षण होते हैं, जिन कारकों में व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, पेशागत आदतें, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, स्वस्थ्य एवं चिकित्सा की पूर्व की स्थिति, प्रतिरक्षा क्षमता, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए अनेक विनियामक उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजनाएं

- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, उसके नियंत्रण एवं उपशमन के लिए 12 जनवरी, 2017 को श्रेणीकृत अनुक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) अधिसूचित की गई। इसके तहत, चार वायु गुणवत्ता सूचकांको (एक्यूआई) नामत: मध्यम से खराब, बहुत खराब, गंभीर और गंभीर से भी अधिक अथवा आपातकाल की स्थिति से निपटने हेतु श्रेणीकृत उपायों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को अभिज्ञात किया जाता है।

- केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2018 में एक व्यापक कार्य योजना (सीएपी) अधिसूचित की गई है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, उसके नियंत्रण एवं उपशमन के लिए अभिज्ञात कार्यकलापों को कार्यान्वित करने हेतु समय-सीमाओं एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को अभिज्ञात किया गया है।

अन्य शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजनाएं

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक PM_{10} और $PM_{2.5}$ के सांद्रण में 20 से 30% की कमी लाने के लक्ष्य

से वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक ढंग से निपटना है। इसमें सांद्रण की तुलना के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष के रूप में रखा गया है। इस कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य देश भर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन हेतु व्यापक प्रबंधन योजना सुनिश्चित करने के अलावा परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को प्रभावकारी ढंग से बढ़ाना और विकसित करना तथा जन-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के उपायों में वृद्धि करना है।

- वर्ष 2011-2015 की अवधि के लिए प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों और डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट 2014/2018 के आधार पर 102 ऐसे शहरों को अभिज्ञात किया गया है जहां वायु की गुणवत्ता परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। जमीनी तौर पर कार्यान्वयन के लिए कुल 86 शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

निगरानी

- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से अक्तूबर, 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन।

परिवहन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के अन्य भागों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानक अपनाना।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथेनॉल मिश्रण की शुरूआत करना।
- सड़कों पर वाहनों की अधिकता के कारण भीड़-भाड़ को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और सड़कों में सुधार तथा और ज्यादा पुलों का निर्माण।
- दिल्ली से अ-लक्षित वाहनों के मार्ग को डाइवर्ट करने हेतु पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रचालन।
- प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र जारी करने को व्यवस्थित बनाना।
- दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता के इंजन वाले डीजल वाहनों पर पर्यावरण संरक्षण प्रभार (ईपीसी) लगाया गया है।

उद्योग

- 15 अक्तूबर, 2018 से बदरपुर ताप विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया है।
- विद्युत संयंत्रों के लिए और कठोर उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना।
- दिल्ली और एनसीआर में 2800 ईंट-भट्टों में मिश्रित प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू कर दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में रेड श्रेणी के सभी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानको का संशोधन।
- पेट कोक और भट्टी तेल पर प्रतिबंध- दिल्ली और एनसीआर राज्यों में चूना भट्टियों/सीमेंट भट्टियों और कैलशियम कार्बाइड उद्योग में पेट कोक के प्रयोग की निगरानी।
- दिल्ली-एनसीआर में लगभग 4700 औद्योगिक इकाइयों में से लगभग 2400 इकाइयों ने पीएनजी का प्रयोग शुरू कर दिया है।

बायोमास और ठोस अपशिष्ट

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरु की गई है।
- बायोमास/कचरा के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
- दिल्ली में इस समय 5100 टन प्रतिदिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले (डब्ल्यू-टी-ई) संयंत्र प्रचालित हैं।

- वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं।

धूल-कण

- निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
- दिल्ली में मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है और वर्तमान में सड़कों की सफाई के लिए 60 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

जन-संपर्क अभियान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकारों ने 10-23 फरवरी, 2018 के दौरान दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान की शुरूआत की थी और दिवाली से पहले और उसके बाद 1 नवंबर, 2018 से 10 नवंबर, 2018 के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु "स्वच्छ वायु अभियान" नामक एक विशेष अभियान आरंभ किया था।
- मंत्रालय द्वारा हरित अच्छे कार्यों, जिनमें साईकिल की सवारी करने को बढ़ावा देने, जल और बिजली बचाने, पेड़ लगाने, वाहनों का उचित अनुरक्षण करने, सड़कों पर लेन अनुशासन का पालन करने तथा कार पूलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी और नागरिकों में जागरुकता सृजन अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जन-शिकायतों के समाधान हेतु 'समीर ऐप', ई-मेल (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्कों' (फेसबुक और ट्विटर) आदि के माध्यम से एक तंत्र विकसित किया गया है।

****